

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 68/2019

दिनांक :14.05.2019

मनभर पुत्री छीतर जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी राम पुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)।

.....प्रार्थीया

बनाम

1. लादु पिता भागुता जाति माली उम्र वयस्क निवासी उन्दरो का खेडा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मोहन लाल पिता लक्ष्मण जाति माली उम्र वयस्क निवासी सालमखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. भुरालाला पिता बरजा जाति माली उम्र वयस्क निवासी सालमखेडा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक14.5.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री मनभर पुत्री छीतर जाति दरोगा उम्र वयस्क निवासी राम पुरिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)। ने जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम राम पुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद आराजी नम्बर 35 रकबा 1बीघा04 बिस्वा,आराजी संख्या 35/1 पर रकबा 1बीघा, व आराजी संख्या 36 रकबा 3बीघा 14 बिस्वा व आराजी नम्बर 66, 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा भुमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम राम पुरिया पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियाँ की सरहद आराजी नम्बर 35 रकबा 1बीघा04 बिस्वा,आराजी संख्या 35/1 पर रकबा 1बीघा, व आराजी संख्या 36 रकबा 3बीघा 14 बिस्वा व आराजी नम्बर 66, 2 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा भुमि बशामलात पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियां